न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-423RAAJodhpur2022-159RTA223 Gafur khan ors Vs Nasardin etc

01. गफूर खॉ पुत्र श्री थायरे खॉ
02. सेफू खॉ पुत्र श्री कादा खॉ
03. मजीज खॉ पुत्र श्री कादा खॉ
04. अब्दुल खॉ पुत्र कादा खॉ

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम नूरे की भूर्ज, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. नसरदीन पुत्र श्री मेवे खॉ के कायम मुकामः -
   1.1. अलाजोबाई पुत्री नसरदीन
   1.2. इलमदीन पुत्र नसरदीन
   1.3. कुतबदीन पुत्र नसरदीन
   1.4. ताज मोहम्मद पुत्र नसरदीन
   1.5. नबीयत पुत्री नसरदीन
   1.6. निबाबखान पुत्री नसरदीन
   1.7. निहालदीन पुत्री नसरदीन
2. मेहबूब पुत्री समसदीन
3. मोहम्मद सरीफ पुत्र समसदीन
4. मिसरी खॉ पुत्र समसदीन
5. सिकंदर पुत्र समसदीन
6. फतेखातु पुत्री श्री मेवे खॉ

   सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- भूरे की भुर्ज तहसील बाप, जिला जोधपुर।
7. श्री तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 जुलाई 1985 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 48/1976 मेवे खॉ व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 1 से 6
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 7

नि र्ण य

दिनांक : 16 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/1976 मेवे खॉ व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 जुलाई 1985 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज नसरदीन एवं समसदीन द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 369 रकबा 100 बीघा एवं खसरा नं. 382 रकबा 50 बीघा वाके ग्राम नूरे की भूर्ज के संबंध में एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03 जुलाई 1985 को वाद स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर बचा खॉ के तीनों पुत्रों मेवा, कादा एवं थायरा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद मेवे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खॉ वगैरह द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया एवं अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। खसरा नं. 380 की भूमि भी अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है, जिससे यहं साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर भी अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। इसलिए अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स के पूर्वज को पक्षकार संयोजित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई हैं। इसलिए अपीलांट्स हस्तगत मामले में हितबद्ध, प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था, इसलिए उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी। वर्तमान में प्रत्यर्थीगण मौके पर आये एवं अपीलांट्स को बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो निर्णय की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नही थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/1976 मेवे खॉ व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 जुलाई 1985 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संशोधित किया जाकर अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट्स एवं उनके पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों को द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जो जरिये साक्ष्य साबित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया है। अपीलाट्स का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी से करीब 07 से 08 किलोमीटर दूर निवास करते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2021(1) पेज 19 में धारा 96 सीपीसी के संबंध में यह निर्धारित किया है कि जिस निर्णय एवं डिक्री से अपीलार्थीगण बंधक नहीं है एवं न ही प्रभावित है। ऐसे निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध स्ट्रेन्जर को अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं ऐसे व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है तथा उन्हें अपील पेश करने की कानूनन अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में मनगढंत कथन किये गये है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि नहीं होकर रेस्पोडेंट्स की स्वर्जित खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2009(1)आर.आर.टी. 179, 2015(1)आर.आर.टी. पेज 369, 2011-12(सप्ली.) आर.आर.टी. पेज 539, 2014(2) आर.आर.टी. पेज 1349, 2010(2) आर.आर. टी. पेज 801 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन कब्जेधारी/काश्तकार रेस्पोडेंट्स के पूर्वज मेवे खॉ नसरदीन एवं समसदीन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जो जरिये साक्ष्य सिद्ध होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उन्हें वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रदान की गई है। अपीलांट्स द्वारा लंबी अवधि बीतने के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा बताते हुए हस्तगत अपील के जरिये वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वे वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से उनके हित प्रभावित हुए है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि अजनबी व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण के आलोक में अपीलांट्स अपीलीधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं ठहरते है।

जहां तक वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है, अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अनुमति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/1976 मेवे खॉं व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 जुलाई 1985 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-423RAAJodhpur2022-159RTA223 Gafur khan ors Vs Nasardin etc

अपीलाण्ट

01. गफूर खॉ पुत्र श्री थायरे खॉ
02. सेफू खॉ पुत्र श्री कादा खॉ
03. मजीज खॉ पुत्र श्री कादा खॉ
04. अब्दुल खॉ पुत्र कादा खॉ

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम नूरे की भूर्ज, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. नसरदीन पुत्र श्री मेवे खॉ के कायम मुकामः -
   - 1.1. अलाजोबाई पुत्री नसरदीन
   - 1.2. इलमदीन पुत्र नसरदीन
   - 1.3. कुतबदीन पुत्र नसरदीन
   - 1.4. ताज मोहम्मद पुत्र नसरदीन
   - 1.5. नबीयत पुत्री नसरदीन
   - 1.6. निबाबखान पुत्री नसरदीन
   - 1.7. निहालदीन पुत्री नसरदीन
2. मेहबूब पुत्री समसदीन
3. मोहम्मद सरीफ पुत्र समसदीन
4. मिसरी खॉ पुत्र समसदीन
5. सिकंदर पुत्र समसदीन
6. फतेखातु पुत्री श्री मेवे खॉ

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- भूरे की भुर्ज तहसील बाप, जिला जोधपुर।

श्री तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 जुलाई 1985 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 48/1976 मेवे खॉ व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 16 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अनुमति बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/1976 मेवे खॉ व

अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 जुलाई 1985 यथावत रखे जाते हैं। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर